

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर

चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002922016

दांडिक प्रकरण क.-488 / 2016

संस्थापित दिनांक 18.11.2016

| |
|--|
| मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div> |
| विरुद्ध |
| 01-बिक्की उर्फ जयदेव यादव पुत्र जण्डेलसिंह यादव आयु 21वर्ष निवासी मलयाना मौहल्ला चंदेरी <div>.....आरोपी.....</div> |
| राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपी..... द्वारा :- श्री अंशुल श्रीवास्तव अधिवक्ता। |

—: निर्णय :-

(आज दिनांक को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 456, 354 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी रानू सेन ने दिनांक 14.09.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 14.09.16 को 13:30 बजे अपने घर के बाहर वाले कमरे में थी तब आरोपी कमरे में आया और उसको बुरी नियत से पकड़ लिया उसके चिल्लाने पर उसके चाचा आ गये तब आरोपी दीवाल कूदकर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 445/2016 के अंतर्गत भादवि की धारा 456, 354 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 454,354 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। जिसमें आरोपी ने स्वयं को झूठा फसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी की ओर से कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 14.09.16 को फरियादी के घर में दिन में 13:30 बजे कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रवेश कर प्रच्छन्न गृहअतिचार कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक वल का प्रयोग किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित

है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रमेशचंद, अ0सा02 रानू, अ0सा03 जमनावाई, अ0सा04 सोनू, अ0सा05 फैमिदा खान, अ0सा06 डॉ पंकज गुप्ता एवं अ0सा07 महेशसिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है।

07— अभियोजन साक्षी 02 रानू ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक 14.09.16 की है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त दिनांक को रात में घर के बाहर वाले कमरे में खड़ी थी तथा उसके चाचा घर पर थे तब आरोपी कमरे के अंदर आ गया और उसे पीछे से पकड़ लिया। उक्त साक्षी के अनुसार वह आरोपी को जानती है तथा उसके चिल्लाने पर उसके चाचा आ गये और आरोपी भाग गया। अ0सा02 के अनुसार उसने घटनाके बारे में अपने माता पिता को बताया और प्र0पी02 की रिपोर्ट लेखवद्ध कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने न्यायालय में धारा 164 प्र0पी04 का कथन दिया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी का उसके घर पर पहले से आना जाना था। उक्त साक्षी अनुसार घटना के समय उसके माता पिता उपस्थित नहीं थे।

08— अ0सा01 रमेशचंद तथा अ0सा03 जमनावाई ने अपने कथन में बताया कि घटना दिनांक को वे लोग अपने घर पर नहीं थे। तथा अ0सा01 को उसके भाई एवं अ0सा03 को फरियादी रानू ने घटना के बारे में बताया था। अ0सा01 ने इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी का चालचलन ठीक नहीं है। अ0सा01 के अनुसार उसका छोटा भाई घर पर था तब आरोपी घर में घुसा था। अ0सा03 के अनुसार उसका लडका सोनू घटना के समय दुकान पर था। अ0सा03 के अनुसार उसके देवर ने उसे घटना के बारे में बताया है। अ0सा04 सोनू ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना के समय वह अपनी दुकान पर था तथा उसकी मां ने उसे फोन लगाया था। और उसे बताया था कि आरोपी घर में घुस आया था यद्यपि उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसे छेड़ छाड़ वाली बात उसकी मां ने बताई थी। अ0सा07 महेश सेन ने भी अपने कथन में

बताया है कि घटना के समय वह खाना खा रहा था तभी उसे रानू के चिल्लाने की आवाज आई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी को घर से निकल कर भागते हुए देखा था तथा उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह भाग गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसे रानू ने यह नहीं बताया था कि आरोपी ने उसे बुरी नियत से पकड़ लिया था किंतु यह कथन दिया है कि आरोपी उसकी भतीजी को परेशान कर रहा था और वह रो रही थी।

09— अ0सा07 डॉ पंकज गुप्ता ने अपने कथन में बताया कि उनके द्वारा दिनांक 14.09.16 को आहत रानू का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसमें उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई थी। अ0सा05 फैमिदा खॉन ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा प्रकरण में नक्सा मौका प्र0पी03 तैयार किया गया था तथा साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये गये थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसने प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने प्रकरण में झूठी विवेचना की है।

10— अभियोजन द्वारा अभिलेख पर जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले के फरियादी अ0सा02 रानू ने अपने कथन में स्पष्टरूप से बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी उसके घर में घुस आया था। और उसने बुरी नियत से उसे पकड़ लिया था। अ0सा02 की साक्ष्य का अनुसर्मथन अ0सा07 ने अपने कथन में किया है। उक्त साक्षी ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को दिन में आरोपी उनके घर में घुस आया था। फरियादी के कथनों से ऐसा प्रकट होता है कि घटना के समय घटना स्थल पर फरियादी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिसके आधार पर फरियादी के कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण दर्शित होता हो। अ0सा01 एवं अ0सा03 तथा अ0सा04 जिन्होंने सुनी सुनाई साक्ष्य के आधार पर कथन किया है किंतु उक्त साक्षीगण की साक्ष्य अखण्डनीय रही है। अभिलेख पर आई साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन का मामला संदेहास्पद एवं

झूठा है।

11— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी ६ टना दिनाक को अपराध करने की नियत से दिन में फरियादी के घर में घुसा था। तथा यह भी प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी ने फरियादी रानू को पीछे से पकड़कर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। परिणामतः आरोपी को भा०द०वि० की धारा 454 एवं 354 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोष सिद्ध किया जाता है।

12— आरोपी..पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोपी एवं उसके अधिवक्ता को दंड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

पुनश्च:—

13— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री अंशुल श्रीवास्तव का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है। मामले की फरियादी महिला है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

14— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही

उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि

तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा.द.वि. की धारा 454, के अपराध में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपी को भा.द.वि. की धारा 354 के अपराध में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। उक्त दोनो दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

15— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

16— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

17— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

18— आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)